

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 383]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 15 सितम्बर 2016—भाद्र 24, शक 1938

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल—462004

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

एफ-1(ए)16-2016-पचास-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग, तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम, 2009 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. अनुसूची-एक में, अनुक्रमांक 37 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
38.	परिवीक्षा अधिकारी	31	तृतीय श्रेणी	5200-2800-20200	
39.	केस वर्कर	2	तृतीय श्रेणी	5200-2800-20200	
40.	प्रधान पर्यवेक्षक (सिवनी)	1	तृतीय श्रेणी	5200-2800-20200	
41.	व्यायाम निर्देशक (सिवनी)	1	तृतीय श्रेणी	5200-2800-20200	
42.	सिलाई प्रशिक्षक	2	तृतीय श्रेणी	5200-2400-20200	
43.	प्रशिक्षक	26	तृतीय श्रेणी	5200-2400-20200	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
44.	कृषि निर्देशक (सिवनी)	1	तृतीय श्रेणी	5200-2400-20200	
45.	निर्देशक (सिवनी)	7	तृतीय श्रेणी	5200-2400-20200	
46.	शिक्षक	13	तृतीय श्रेणी	5200-2400-20200	
47.	मेट्रन	21	तृतीय श्रेणी	5200-2400-20200	
48.	पर्यवेक्षक (सिवनी)	2	तृतीय श्रेणी	5200-2100-20200	
49.	हाउस मास्टर (सम्प्रेक्षण गृह)	17	तृतीय श्रेणी	5200-2100-20200	
50.	शिक्षक (सिवनी)	5	तृतीय श्रेणी	5200-2100-20200	
51.	बागवानी निर्देशक	1	तृतीय श्रेणी	5200-2100-20200	
52.	प्रमुख प्रहरी	1	तृतीय श्रेणी	5200-2100-20200	
53.	कम्पाउण्डर	1	तृतीय श्रेणी	5200-2100-20200	

2. अनुसूची-दो में, अनुक्रमांक 40 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

विभाग का नाम	पद का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या सीधी भर्ती द्वारा	पदों की संख्या सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महिला एवं बाल विकास.	41. परिवीक्षा अधिकारी	31	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	
	42. केस वर्कर	2	-	100 प्रतिशत	
	43. प्रधान पर्यवेक्षक (सिवनी)	1	-	100 प्रतिशत	
	44. शारीरिक प्रशिक्षण निर्देशक (सिवनी).	1	-	100 प्रतिशत	
	45. सिलाई प्रशिक्षक	2	100 प्रतिशत	-	
	46. प्रशिक्षक	26	100 प्रतिशत	-	
	47. कृषि निर्देशक (सिवनी)	1	100 प्रतिशत	-	
	48. निर्देशक (सिवनी)	7	100 प्रतिशत	-	
	49. शिक्षक	13	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	
	50. मेट्रन	21	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	
	51. पर्यवेक्षक (सिवनी)	2	100 प्रतिशत	-	
	52. हाउस मास्टर (सम्प्रेक्षण गृह)	17	100 प्रतिशत	-	
	53. शिक्षक (सिवनी)	5	100 प्रतिशत	-	
	54. बागवानी निर्देशक	1	100 प्रतिशत	-	
	55. प्रमुख प्रहरी	1	-	100 प्रतिशत	
	56. कम्पाउण्डर	1	100 प्रतिशत	-	

3. अनुसूची-तीन में, अनुक्रमांक 7 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

अनुक्रमांक (1)	पद का नाम (2)	न्यूनतम आयु सीमा (3)	अधिकतम आयु सीमा (4)	विहित शैक्षणिक अर्हताएं (5)	चयन समिति के ब्यौरे (6)
8.	परिवीक्षा अधिकारी	21 वर्ष	40 वर्ष	मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक.	प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड की परीक्षा के माध्यम से.
9.	सिलार्ड प्रशिक्षक	21 वर्ष	40 वर्ष	1. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक. 2. शासकीय पॉलीटेक्निक अथवा आई.टी.आई. से सिलार्ड ट्रेड (व्यवसाय) में डिप्लोमा.	-''-
10.	प्रशिक्षक	21 वर्ष	40 वर्ष	1. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र विषय के साथ स्नातक. 2. शासन द्वारा मान्यताप्राप्त पॉलीटेक्निक अथवा आई.टी. आई. से संबंधित ट्रेड (व्यवसाय) में डिप्लोमा.	-''-
11.	कृषि निर्देशक (सिवनी)	21 वर्ष	40 वर्ष	मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विषय के साथ स्नातक.	-''-
12.	निर्देशक (सिवनी)	21 वर्ष	40 वर्ष	1. स्नातक 2. शासकीय पॉलीटेक्निक अथवा आई.टी.आई. से संबंधित ट्रेड (व्यवसाय) में डिप्लोमा.	-''-
13.	मेट्रन	21 वर्ष	40 वर्ष	मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र विषय के साथ स्नातक.	-''-
14.	पर्यवेक्षक (सिवनी)	21 वर्ष	40 वर्ष	मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र विषय के साथ स्नातक.	-''-
15.	हाउस मास्टर (सम्प्रेक्षण गृह)	21 वर्ष	40 वर्ष	मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र विषय के साथ स्नातक.	-''-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	शिक्षक	21 वर्ष	40 वर्ष	1. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र विषय के साथ स्नातक. 2. बैचलर इन एजुकेशन (बी.एड.)	प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड की परीक्षा के माध्यम से.
17.	शिक्षक (सिवनी)	21 वर्ष	40 वर्ष	1. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र विषय के साथ स्नातक. 2. डिप्लोमा इन एजुकेशन (डी.एड.)	—''—
18.	बागवानी निर्देशक	18 वर्ष	40 वर्ष	1. हायर सेकेण्ड्री परीक्षा (10+2) पद्धति से उत्तीर्ण. 2. कृषि/बागवानी में डिप्लोमा	—''—
19.	कम्पाउण्डर	18 वर्ष	40 वर्ष	हायर सेकेण्ड्री परीक्षा (10+2) पद्धति से जीव विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण.	—''—

4. अनुसूची-चार में, अनुक्रमांक 8 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

अनुक्रमांक	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है.	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है.	न्यूनतम सेवा अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	मेट्रन/ प्रशिक्षक/ शिक्षक.	परिवीक्षा अधिकारी/ केस वर्कर.	5 वर्ष	1. आयुक्त (म.स.) द्वारा नामांकित —अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक/उपसंचालक (ICPS). —सदस्य 3. उपसंचालक (प्रशासन) —सदस्य	केवल स्नातक पदोन्नत किए जाएंगे.
10.	निर्देशक	निर्देशक (सिवनी)	5 वर्ष	—''—	—''—
11.	पर्यवेक्षक (सिवनी).	प्रधान पर्यवेक्षक (सिवनी).	5 वर्ष	—''—	—''—
12.	हाउस मास्टर (सम्प्रेक्षण गृह).	मेट्रन	5 वर्ष	1. कलेक्टर —अध्यक्ष 2. जिला कार्यक्रम अधिकारी (आईसीडीएस). —सदस्य 3. जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी. —सदस्य	—''—
13.	शिक्षक (सिवनी).	शिक्षक	5 वर्ष	—''—	—''—
14.	निर्देशक	कृषि निर्देशक	5 वर्ष	—''—	—''—
15.	प्रहरी	प्रमुख प्रहरी	5 वर्ष	—''—	—''—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र सिंह, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ 1(ए)16-2016-पचास-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 1(ए)16-2015-पचास-1, दिनांक 15 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र सिंह, उपसचिव.

Bhopal, the 15th September 2016

F-1(A)-16-2016-L-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Mahila Evam Bal Vikas Vibhag, Class III (Executive) Service Recruitment Rules, 2009, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In Schedule-I, after serial number 37, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:—

S. No.	Name of the Post included in the service	Total No. of Posts	Classification	Scale of Pay	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
38.	Probation Officer	31	Class-III	5200—2800—20200	
39.	Case Worker	2	Class-III	5200—2800—20200	
40.	Head Supervisor (Seoni)	1	Class-III	5200—2800—20200	
41.	Physical Training Instructor (Seoni)	1	Class-III	5200—2800—20200	
42.	Sewing Trainer	2	Class-III	5200—2400—20200	
43.	Trainer	26	Class-III	5200—2400—20200	
44.	Agriculture Instructor (Seoni)	1	Class-III	5200—2400—20200	
45.	Instructor (Seoni)	7	Class-III	5200—2400—20200	
46.	Teacher	13	Class-III	5200—2400—20200	
47.	Matron	21	Class-III	5200—2400—20200	
48.	Supervisor (Seoni)	2	Class-III	5200—2100—20200	
49.	House Master	17	Class-III	5200—2100—20200	
50.	Teacher (Seoni)	5	Class-III	5200—2100—20200	
51.	Gardening Instructor	1	Class-III	5200—2100—20200	
52.	Chief Guard	1	Class-III	5200—2100—20200	
53.	Compounder	1	Class-III	5200—2100—20200	

2. In Schedule-II, after serial number 40, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:—

Name of the Department	Post of Service	Total No. of Posts	Percentage of the number of Posts to be filled in		Remarks
			By Direct Recruitment	By Promotion of the members of the service	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Woman and Child Development.	41. Probation Officer	31	25%	75%	
	42. Case Worker	2	-	100%	
	43. Head Supervisor (Seoni)	1	-	100%	
	44. Physical Training Instructor (Seoni).	1	-	100%	
	45. Sewing Trainer	2	100%	-	
	46. Trainer (Reformatory Services).	26	100%	-	
	47. Agriculture Instructor (Seoni).	1	100%	-	
	48. Instructor (Seoni)	7	100%	-	
	49. Teacher	13	75%	25%	
	50. Matron	21	50%	50%	
	51. Supervisor (Seoni)	2	100%	-	
	52. House Master	17	100%	-	
	53. Teacher (Seoni)	5	100%	-	
	54. Gardening Instructor	1	100%	-	
	55. Chief Guard	1	-	100%	
	56. Compounder	1	100%	-	

3. In Schedule-III, after serial number 7, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:—

S. No.	Name of Post	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Prescribed Educational Qualifications	Details of Selection Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Probation Officer	21 Years	40 Years	Law Graduate from recognized University.	Through Exam of Professional Examination Board.
9.	Sewing Trainer	21 Years	40 Years	1. Graduate from recognized University. 2. Diploma in Sewing trade from Govt. Polytechnic or I.T.I.	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	Trainer	21 Years	40 Years	1. Graduate with Sociology from recognized University. 2. Diploma in relative trade from Govt. Polytechnic or I.T.I.	Through Exam of Professional Examination Board.
11.	Agriculture Instructor (Seoni).	21 Years	40 Years	Graduate with Agriculture from recognized University.	—"
12.	Instructor (Seoni)	21 Years	40 Years	1. Graduate 2. Diploma in relative trade from Govt. Polytechnic or I.T.I.	—"
13.	Matron	21 Years	40 Years	Graduate with Sociology from recognized University.	—"
14.	Supervisor (Seoni)	21 Years	40 Years	Graduate with Sociology from recognized University.	—"
15.	House Master	21 Years	40 Years	Graduate with Sociology from recognized University.	—"
16.	Teacher	21 Years	40 Years	1. Graduate with Sociology from recognized University. 2. Bachelor in Education (B.Ed.).	—"
17.	Teacher (Seoni)	21 Years	40 Years	1. Graduate with Sociology from recognized University. 2. Diploma in Education (D.Ed.).	—"
18.	Gardening Instructor	18 Years	40 Years	1. Higher Secondary Examination (10+2) Pattern, passed. 2. Diploma in Agriculture/ Gardening.	—"
19.	Compounder	18 Years	40 Years	Higher Secondary Examination (10+2) Pattern, passed with Biology.	—"

4. In Schedule-IV, after serial number 8, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:—

S.No.	Name of the Post from which promotion is to be made	Name of the post to which promotion is to be made	Minimum Service Period	Member of the departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	Matron/ Trainer/ Teacher.	Probation Officer/ Case Worker.	5 Years	1. Commissioner (W.E.)—Chairman 2. Joint/Deputy Director (ICPS). —Member. 3. Deputy Director (Administration). —Member	Only Graduate shall be Promoted.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	Instructor (Seoni).	Physical Training Instructor (Seoni).	5 Years	1. Commissioner (W.E.) —Chairman 2. Joint/Deputy Director (ICPS). —Member 3. Deputy Director (Administration). —Member	Only Graduate shall be Promoted.
11.	Supervisor (Seoni).	Head Supervisor (Seoni).	5 Years	—”—	—”—
12.	House Master.	Matron	5 Years	1. Collector —Chairman 2. District Programme Officer (ICDS). —Member 3. District Women Empowerment Officer. —Member.	—”—
13.	Teacher (Seoni).	Teacher	5 Years	—”—	—”—
14.	Gardening Instructor.	Agriculture Instructor.	5 Years	—”—	—”—
15.	Guard	Chief Guard	5 Years	—”—	—”—

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA SINGH, Dy. Secy.